विशेष न्यायालय (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय,

कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव

UPUN010042982026

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या:– 1820/2026

1. **भोलाशंकर पुत्र रामधार,**
2. **अभिषेक पुत्र श्रीधर तुल्ली,**
3. **राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामधार,**
4. **सतीश चौरसिया पुत्र भोलाशंकर,**

निवासीगण:– आंट नेवरना, थाना:– अचलगंज, जिला:– उन्नाव

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

1. **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उन्नाव,**
2. **श्रीमती सुन्दरी पत्नी स्व० बुद्धीलाल, निवासिनी:– ऑट पो० नेवरना, थाना:– अचलगंज, जिला:– उन्नाव**

.....विपक्षीगण

मु०अ०सं०:– 607/2025,
धारा:– 3(5), 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस०
एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना:– अचलगंज, जिला:– उन्नाव

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

दिनांक:– 25.07.2026

अभियुक्तगण **भोलाशंकर, अभिषेक, राजेन्द्र प्रसाद एवं सतीश चौरसिया** की ओर से **मु०अ०सं०:– 607/2025, धारा:– 3(5), 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना:– अचलगंज, जिला:– उन्नाव** में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा दाखिल प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया कि प्रार्थी का कोई भी प्रार्थना पत्र जमानत इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है न ही खारिज हुआ है। श्रीमान जी के यहां प्रथम प्रार्थना पत्र जमानतीय दिया गया है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी सुन्दरी पत्नी बुद्दीलाल पासी निवासी आट पो० नेवरना थाना अचलगंज उन्नाव की रहने वाली हूँ। प्रार्थिनी की भैस के पास दिनांक 27.10.2025 को समय करीब 9 बजे रात एक गाय आ गयी थी। प्रार्थिनी गाय को भगाने लगी। तभी भोला पुत्र रामधार चौरसिया तथा अभिषेक पुत्र तुल्ली चौरसिया तथा राजेन्द्र पुत्र रामधार तथा सतीश पुत्र भोला नि०गण आट आकर जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये गन्दी गन्दी गाँलियाँ देने लगे। प्रार्थिनी द्वारा मना करने पर प्रार्थिनी को

लाठी–डन्डों से मारने लगे। प्रार्थिनी की पुत्री आरती बचाने आयी तो उसको भी मारा पीटा। मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थिनी व आरती को चोटे आई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी सूचना देने आयी है, रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार जमानत में कथन किया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का कोई भी आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी ने कोई घटना गाली गलौज व मारपीट व जान से मारने की धमकी देने व जाति सूचक गालियां देकर अपमानित करने की कारित नही किया है बल्कि झूठा आरोप केवल सरकारी अनुदान धनराशि प्राप्त करने के लिये लगाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध घटना की कोई साक्ष्य नही है। झूठा केस बनाया गया है। प्रार्थी पर कोई भी अपराध नही बनता है। प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। प्रार्थी का कोई भी प्रार्थना पत्र जमानत इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है न ही खारिज हुआ है। श्रीमान जी के यहां प्रथम प्रार्थना पत्र जमानतीय दिया गया है। प्रार्थी जमानत से छूटने के बाद न तो कहीं भागेगा और न ही सबूत गवाहान पर बेजा असर डालेगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक व वादिनी मुकदमा के अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादिनी मुकदमा पर नोटिस का तामीला पर्याप्त है। वादिनी मुकदमा अथवा वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त मुकदमा में आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण दिनांक 13.07.2026 से अंतरिम जमानत पर हैं तथा दौरान अंतरिम जमानत इनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किये जाने का कोई तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है। आरोप–पत्र में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं है।

अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्तागण को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण **भोलाशंकर, अभिषेक, राजेन्द्र प्रसाद एवं सतीश चौरसिया** की ओर से **मु०अ०सं०:– 607/2025, धारा:– 3(5), 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना:– अचलगंज, जिला:– उन्नाव** में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र **स्वीकार** किया जाता है तथा अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक द्वारा रू० 20,000/–(बीस हजार रूपए) का स्वबंध पत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक:– 25.07.2026

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव